छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
रायपुर

क्रमांक 183/रासूआ/05 रायपुर,दिनांक 20/12/05

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव (समस्त) छत्तीसगढ़
2. विभागाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक(समस्त) छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर(समस्त) छत्तीसगढ़

विषयः—सूचना का अधिकार—आवेदन पत्र शुल्क की राशि जमा करने के संबंध में

आयोग को प्राप्त आवेदनों पत्रों/ शिकायत पत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ विभागों में अभी भी नकद राशि के बदले चालान के रूप में आवेदन शुल्क मांगा जा रहा है। आयोग के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि कुछ विभागों में अभी तक आवेदन शुल्क की राशि लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

आवेदन शुल्क लेने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम बनाये गए है। नियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जानकारी मांगने के लिये आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राशि 10.00 रू नकद अथवा चालान के रूप में ली जाए। इसका आशय यह नहीं है कि आवेदक को आवेदन शुल्क चालान के द्वारा जमा कर प्रस्तुत करने बाध्य किया जाए। यदि आवेदक नकद राशि जमा करना चाहता है तो उसे लेने से इन्कार न किया जावे।

आदेशानुसार कृपया अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों से उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
रायपुर